ई–मेल/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प.9 (3)शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता /2017 जयपुर दिनांक 31.3.17

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– शैक्षिक सत्र 2016–17 में मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2017–18 में पुनः अवसर दिये जाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शैक्षिक सत्र 2017–18 में गैर–सरकारी विद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया प्रारंम्भ करने हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(3)शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता/2017 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। शैक्षिक सत्र 2017–18 में मान्यता हेतु जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.6 में शैक्षिक सत्र 2016–17 में ऑनलाइन आवेदन करने वाली ऐसी संस्थाओं जिनको शैक्षिक सत्र 2016–17 में मान्यता जारी नहीं की गई है, उन्हें पुनः एक अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2016–17 में ऑनलाइन आवेदन करने वाली कुछ संस्थाओं की मांग पर इन संस्थाओं को भूमि रूपान्तरण व कुछ अन्य बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छूट दी गयी थी। ऐसे कुछ विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण इन विद्यालयों को वर्ष 2016–17 में मान्यता जारी नहीं की गयी। इन संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2017–18 की मान्यता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करनी है :–

- शैक्षिक सत्र 2016–17 में ऑनलाइन आवेदन करने वाली संस्थाओं में से जिन संस्थाओं की मान्यता देने अथवा मान्यता निरस्त करने की अभिशंषा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम तिथि से पूर्व वेबपोर्टल पर कर दी गई है, ऐसी संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2017–18 की ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। जिन संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मान्यता दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है अर्थात सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता देने अथवा मान्यता निरस्त करने की अभिशंषा नहीं की गई है। उन संस्थाओं का डाटा शैक्षिक सत्र 2017–18 के आवेदन में शामिल किया जायेगा।

- यह संस्थायें अपने लॉगिन में अपनी पूर्व में ऑनलाइन प्रविष्ट की गयी सूचनाओं को पुनः जॉच लें तथा आवश्यकता होने पर उनमें संशोधन कर लें तथा पूर्ण संतुष्ट होने पर सूचनाओं को लॉक कर दें।

- शैक्षिक सत्र 2016–17 में ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेज मान्य होंगे तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं शपथ–पत्र भी अपलोड करने होंगे।

- ऑनलाइन आवेदन का पुनः प्रिन्ट लेना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं शपथ पत्र संलग्न कर सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा।

- इन आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जिस प्रकार शैक्षिक सत्र 2017—18 में प्रथम बार प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जानी है।

- इन संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2017—18 में बढ़े हुए मान्यता शुल्क की अंतर राशि को जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाना होगा। यह शुल्क मान्यता दिये जाने की अभिशंषा किये जाने के बाद देना होगा उसके बाद ही मान्यता सम्बन्धी आदेश शैक्षिक सत्र 2017—18 से जारी किये जाएंगें ।

भवदीय

(उमा शंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप—सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को देकर लेख है, कि उक्त आदेश के अनुक्रम में वेबपोर्टल पर व्यवस्था करवाने का श्रम करें।
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप—सचिव